



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 191(2)/191(3)/281 /118(2)/109(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय तीन खोखा कारतूस .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30-06-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 धनपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ विककी पुत्र नवाब, 2. बिजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल, 3. रमन पुत्र ऋषिपाल, 4. सजन पुत्र कृष्णपाल, 5. नवाब पुत्र रगबर, 6. राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल



निवासीगण ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 7. जितेन्द्र उर्फ जितू पुत्र नौराज निवासी गायत्रीपुरम् कस्बा बागपत, 8. शेरसिंह उर्फ कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी कस्बा बागपत, 9. दीपक चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जगबीर निवासी पक्का घाट कस्बा बागपत, 10. सुगम सांगवान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सांकलपुढी जनपद बागपत व 2-3 अज्ञात बदमाश द्वारा भट्टे की मिट्टी से भरे हाईवा से उसकी ब्रेजा कार में टक्कर मार दी, शिकायत करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने चेहरे पर कपड़ा बांध

कर अपने हाथों में लिये हथियारों पिस्टल, रिवाल्वर से उसके व उसके लडकों पर जान से मारने की नीयत से अन्धा धुंध फायरिंग की गयी, जिसमें उसका लडका जतिन गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा हाथों में लिये हॉकी व डण्डों से अभिषेक के साथ भी मारपीट की, जिसमें अभिषेक गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दांत भी टूट गया। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय तीन खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

विककी उर्फ विकास पुत्र नबाव निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध पिस्टल मय तीन खोखा कारतूस .32 बोर।

अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2- उ०नि० श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- है०का० 415 रविन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- का० 607 कपिल देव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 22.07.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 514/26 धारा 3(5)/140(4)/115(2)/351 बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 514/26 धारा 3(5)/140(4)/115(2)/351 बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

शेखर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 22.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग को दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 253/26 धारा 9(1)ए(1)/25(2) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजा उर्फ रुस्तम पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकड़ा ।
- 2-उ0नि0 सुजीत कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3- है0का0 189 निशान्त थाना खेकड़ा ।
- 4-रि0का0 417 अंकित थाना खेकड़ा ।

